OM METALS INFRAPROJECTS LTD.

CIN-L27203RJ1971PLC003414

Regd. Office : J-28, Subhash Marg, C-Scheme, Jaipur - 302001
Tel: +91-141-5160000, E-mail: jaipur@ommetals.com
Website : www.ommetals.com

IRQS MGMT SYS RvA C071

AN ISO 9001 : 2000 Certified Co.

Date: 8th September, 2018

To,

Corporate Service Department, **Bombay Stock Exchange,** Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai- 400001 Fax No. 022- 22723121/3027/2039/2061/2041	Listing Department, **National Stock Exchange of India Limited** Exchange Plaza, C-1 Block G Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai Fax No. 022- 26598237/38;66418126

Dear Sir/ Ma'am

Sub: Newspaper Clips- Notice of Annual General Meeting and E-Voting

Please find enclosed herewith copies of Notice of 46th Annual General Meeting and E-Voting published in "The Business Standard" in English Language and in "Amrit India" in Hindi Language.

Please take the same on record.

Thanking You.

For Om Metals Infraprojects Limited

Company Secretary

New Delhi
NBCC Plaza, Tower III, 4th Floor, Sector-5
Pushp Vihar, Saket, New Delhi-110017
Tel : +91-11-29565552/53/54
Fax : +91-11-29565551, 29551687

Kota
B-117/118, Indraprastha Ind Area,
Kota 324 005 (Rajasthan)
Tel : +91-744-2425107, 2420756
Fax : +91-744-2438069, 2430647

Mumbai
Ground Floor,Ramakrishna Sadan
63, Pochkhanwala Road
Opp. Worli RTO, Worli, Mumbai - 400 025
Tel : +91-22-24970836, 32402492

संक्षिप्त समाचार.....

कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा कर रहे श्री सुबू 8 सितम्बर को जयपुर में

जयपुर। सड़क दुर्घटनाओ की समस्या के समाधान पर ध्यानाकर्षण हेतु राष्ट्रीय अभियान ***crore steps – donate your walk*** के तहत कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा कर रहे श्री सुब्रमन्यन नारायणन उर्फ़ सुबू 8 सितम्बर 2018 को जयपुर आ रहे हैं। सेंटर कोऑडनेटर,सेंटर फॉर रोड सेफ्टी,सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय श्रीमती प्रेरणा सिंह ने बताया कि सेंटर फॉर रोड सेफ्टी, सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय इस राष्ट्रीय अभियान में सहभागी है। उन्होंने बताया कि इस यात्रा के महत्व एवं पैदल व्यक्ति की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढाने हेतु 8 सितम्बर 2018 को प्रात: 7 बजे से 9 बजे तक अलबर्ट हॉल के पीछे से त्रिमूर्ति सर्किल और इस सर्किल से पुन: अल्बर्ट हॉल के पीछे तक ***crore steps – donate your walk*** कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। श्रीमती सिंह ने बताया कि इस पैदल यात्रा मे श्री सुबू के साथ अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री राजीव दासोत, उप महानिरीक्षक पुलिस श्रीमती एस परिमाला, मिसेस इंडिया 2018 डॉ. अनुपमा सोनी, सरपंच श्रीमती छवि राजावत, संयोजक ***crore steps – donate your walk*** श्री रमाशंकर पांडे एवं राजस्थान पुलिस के जवानों सहित फिक्की, सीआईआई, यंग इंडियन, सियाम, ड्राइव सेफ ड्राइव स्मार्ट, एनसीसी, स्काउट गाइड, एनएसएस जैसी संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा विभिन्न महाविद्यालयों के करीब 2000 से अधिक विद्यार्थी भी भागीदार होंगे।

प्रदेश में 32 पुलिस उपाधीक्षकों के तबादले, जयपुर में दो एसीपी बदले

जयपुर। राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने बुधवार को एक आदेश जारी कर 32 पुलिस उपाधीक्षकों के तबादले कर दिए। इनमें जयपुर में दो सहायक पुलिस आयुक्त को बदला गया है। इसके अनुसार पुलिस उपाधीक्षक चैन सिंह महेचा को सीओ मांडलगढ़ जिला भीलवाड़ा, रामगोपाल शर्मा को सीओ मेड़ता सिटी, जिला नागौर, नरेंद्र कुमार शर्मा को सीओ सुजानगढ़, जिला चुरु, भोमाराम को सीओ शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा, किशोरीलाल को सीओ मनिया जिला धौलपुर, रामेश्वरलाल परिहार को सीओ सीकर ग्रामीण, कैलाशचंद्र जाट को उपाधीक्षक एससी-एसटी सेल दौसा, दिनेश कुमार को सहायक कमांडेंट 13 वीं बटालियन (जेल सुरक्षा) जयपुर में लगाया गया है। इसके अलावा लाभूराम को उपाधीक्षक एससी एसटी सेल, जिला राजसमंद, परबत सिंह को सीओ नसीराबाद, जिला अजमेर, महमूद खां को उपाधीक्षक एससी एसटी सेल जिला कोटा ग्रामीण, विजय सिंह चारण को वृत्ताधिकारी जिला बाड़मेर, विजयपाल सिंह संधू को सीओ छोटी सादड़ी, जिला प्रतापगढ़, राजेश आर्य को सीओ सदर, जिला भीलवाड़ा, अब्दुल आहद खां को उपाधीक्षक जीआरपी, अजमेर, लाखन सिंह मीणा को सीओ जहाजपुर जिला भीलवाड़ा, दिनेश कुमार शर्मा को एसीपी अशोक नगर जयपुर कमिश्नरेट, नारायण लाल तिवाड़ी को एससी एसटी सैल, जिला झुंझूनूं, राजीव परिहार को उपाधीक्षक एससी एसटी सेल, बाड़मेर में लगाया गया है।

बंद के दौरान बारां के गजनपुरा गांव में पथराव, समता आंदोलन के अध्यक्ष हिरासत

जयपुर। एससी एसटी एक्ट संशोधन के विरोध में सवर्ण संगठनों की ओर से गुरुवार को बुलाए गए भारत बंद का राजस्थान में व्यापक असर देखने को मिल रहा है। जयपुर के मुख्य बाजार के व्यापारियों ने बंद का समर्थन करते हुए दुकानें बंद रखीं। शहर के परोकटे, पांचबत्ती और एमआई रोड समेत प्रमुख बाजारों में दुकानें नहीं खुली। वहीं बारां के गजनपुरा में झड़प और पथराव में दो लोग घायल हो गए। समता आंदोलन के अध्यक्ष हिरासत में = बंद के मद्देनजर एहतियात बरतते हुए पुलिस ने समता आंदोलन के अध्यक्ष पराशर नारायण शर्मा को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उन्हें पहले ही पाबंद कर दिया था। वहीं जयपुर के बड़ी चौपड़ पर प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। यहां पंकज थोई और पवन गौड़ को पकड़ा गया है। इसके साथ जयपुर के माणक चौक इलाके में करीब 10 लोगों को हिरासत में लिया गया। गजनपुरा गांव में पथराव में दो घायल बारां के गजनपुरा गांव में बंद कराने गए सवर्ण समाज के लोगों व गांव के व्यापारियों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान माहोल गर्मा गया और पथराव और झड़प में दो लोगों को चोट आई। गांव के व्यापारियों ने सवर्ण समाज के लोगों पर पथराव किया था। झड़प की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस जाप्ता गजनपुरा गांव पहुंच गया है।

विधानसभा घेराव करने पहुंचे यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज

जयपुर। राफेल फाइटर प्लेन मुद्दे और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में गुरुवार को यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता विधानसभा घेराव करने पहुंचे। इस दौरान भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को वॉटर कैनन और लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। 22 गोदाम सर्किल पर एकत्रित होने के पास रैली निकालकर ये कार्यकर्ता विधानसभा पहुंचे थे। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडू और सीपी जोशी ने सभा संबोधित भी किया। जिस में उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता राफेल विमान का 9 फीट लंबा पुतला भी लेकर पहुंचे। 22 गोदाम से जैसे ही ये रैली जैसे ही विधानसभा के पास पहुंची। जहां विधानसभा टी-पॉइट पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर प्रदर्शनकारियों को विधानसभा में घुसने से रोक लिया। जिसके कारण प्रदर्शनकारी बेकाबू हो गए। वे बेरिकेड्स पर चढ़कर अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। इससे यूथ कांग्रेस के कार्यकताओं पुलिस के साथ हुई नोकझोंक शुरु हो गई। इसके चलते हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर कार्यकर्ताओं को खदेड़ना शुरु कर दिया। इसी बीच वाटर कैनन से पानी की बौछारें छोड़कर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने का प्रयास किया।

लिपिक ग्रेड द्वितीय परीक्षा के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित

जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा रविवार, 09 सितम्बर, 2018 को लिपिक ग्रेड-द्वितीय/कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। जिला कलक्टर श्री सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि यह परीक्षा दो सत्रों में प्रात: 8 बजे से 11 बजे तक तथा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आयोजित होगी। परीक्षा के सफल एवं सुचारू संचालन के लिए कलक्ट्रेट के कमरा नं. 116 में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, जो 07 सितम्बर से 08 सितम्बर तक प्रात: 9.30 बजे से सांय 6 बजे तक तथा 09 सितम्बर को प्रात: 6.00 बजे से परीक्षा समाप्ति उपरान्त परीक्षा से संबंधित समस्त कार्य पूर्ण होने तक कार्य करेगा।

विस. आम चुनाव के दौरान पेड न्यूज और फेक न्यूज पर नियंत्रण के लिए भारत निर्वाचन आयोग के विशेषज्ञों ने सिखाए खास गुर

वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए अधिकारियों को दिया अहम प्रशिक्षण

जयपुर/एजेंसी।

विधानसभा आम चुनाव-2018 के दौरान प्रिंट-इलेक्ट्रोनिक और सोशल मीडिया पर पेड न्यूज-फेक न्यूज और संदेहास्पद विज्ञापनों पर कड़ी नजर रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निदेशक (मीडिया) श्री धीरेन्द्र ओझा ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारी, राज्य व जिला स्तरीय एमसीएमसी सेल (मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी) के अधिकारियों को प्रशिक्षण देकर चुनाव आयोग की गाइड लाइन से अवगत कराया। श्री ओझा दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए जिला और राज्य स्तर के अधिकारियों से जुड़े। शासन सचिवालय परिसर के एनआईसी सेंटर पर सूचना एवं जनसंपर्क आयुक्त श्री रवि जैन, अतिरिक्त निदेशक (सूजस) श्री पी.पी त्रिपाठी और स्टेट लेवल मीडिया सेल से जुड़े अधिकारीगण उपस्थित रहे। श्री ओझा ने कहा कि प्रदेश में आगामी चुनाव में पेड न्यूज, फेक न्यूज और मतदाताओं को लुभाने वाले संदेहास्पद विज्ञापन मतदाताओं की सोच को प्रभावित करते हैं ऐसे में उन पर पैनी नजर रखकर उन पर नियंत्रण रखने की खासी जरूरत है। उन्होंने उम्मीदवारों द्वारा प्रकाशित और प्रसारित विज्ञापनों से पूर्व प्रमाणीकरण, पेड न्यूज और फेक न्यूज को पहचानने और उससे जुड़े कानूनों के बारे में भी विस्तार से बताया। इस दौरान उन्होंने पावर पॉइंट प्रजेंटेशन के जरिए छोटी से छोटी जानकारी को भी साझा किया। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. जोगाराम ने बताया कि प्रदेश में स्वतंत्र-निष्पक्ष-शांतिपूर्ण और समावेशी मतदान कराना विभाग की जिम्मेदारी है। इसी कड़ी में प्रदेश के सभी 33 जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में एमसीएमसी का गठन कर दिया गया है। कमेटी का काम चुनाव की अधिघोषणा के साथ और उम्मीदवारों के नामांकन के साथ ही शुरू हो जाएगा। कमेटी उम्मीदवारों द्वारा इलेक्ट्रोनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया के जरिए प्रसारित समाचारों पर कड़ी निगरानी रखेगी। आयोग के सचिव (मीडिया) श्री अजॉय कुमार ने अधिकारियों के सवाल-जवाबों का विस्तार से जवाब देकर उनकी जिज्ञासा को शांत किया। उन्होंने कहा कि विषय से जुड़े ज्यादातर सवालों के जवाब भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं लेकिन फिर भी कोई भी सवाल रह जाए तो विशेषज्ञ उनके लिए हर समय उपस्थित रहेंगे।

जयपुर में लगातार तीसरे दिन हुई बरसात, करौली में पांचना बांध के छह गेट खोले

जयपुर। जयपुर व करौली में गुरुवार को लगातार तीसरे दिन बरसात हुई। मंगलवार व बुधवार को भी जयपुर में सुबह छह बजे बाद बरसात हुई थी। गुरुवार को सुबह 6-45 बजे तेज बरसात शुरू हुई जो सुबह 10 बजे तक चली। इसके बाद कई इलाकों में बूंदाबांदी जारी रही। करौली जिले में हुई अच्छी बारिश के चलते पांचना बांध के 6 गेट खोलकर 6600 क्यूसेक पानी की निकासी की गई। राज्य में बादल छाए रहने के कारण ज्यादातार स्थानों पर न्यूनतम तापमान 22 से 25 डिग्री के बीच रहा। बीती रात सबसे अधिक तापमान श्रीगंगागनर में 28.5 डिग्री तो सबसे कम तापमान माउंट आबू में 15.0 डिग्री रहा। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को राज्य में कहीं भी वर्षा के आसार नहीं हैं। हालांकि शुक्रवार को बारां, बूंदी, झालावाड़, कोटा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जयपुर में सुबह पौने सात बजे बरसात शुरू हुई। आधे

घंटे हल्की बारिश के बाद बरसात तेज हो गई। सुबह 10 बजे तक बरसात जारी ही। इसके बाद कुछ इलाकों में बूंदाबांदी होती रही। बरसात से मानसरोवर, गोपालपुरा, मालवीयनगर, वैशालीनगर में सड़कों पर पानी भर गया। गुरुवार को बुलाए गए भारत बंद के कारण कई स्कूलों में छट्?टी के कारण बच्चों को बारिश से परेशानी नहीं हुई। इसके बाद शाम को भी कुछ इलाकों में बरसात हुई। करौली जिले में हुई अच्छी बारिश के चलते पांचना बांध के 6 गेट खोलकर 6600 क्यूसेक पानी की निकासी की गई। इससे बांध के निचले क्षेत्रों में खुशी की लहर है। वही लोगों से नदी से दूरी बनाए रखने की अपील की गई है। पांचना बांध से गुरुवार सुबह 5 बजे एक गेट खोलकर पानी की निकासी शुरू की थी, लेकिन पानी की बढती आवक के कारण धीरे-धीरे गेट की संख्या 2 से 3 फिर 5 और जलस्तर कम नहीं होने पर 6 गेट खोलकर 6600 क्यूसेक जल निकासी की गई।

सात उद्योगों को उद्योग रत्न, चार बुनकरों को बुनकर रत्न और ...

एक हस्तशिल्पी को हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा : राजपाल सिंह

जयपुर/एजेंसी।

राज्य में उत्कृष्ठ प्रदर्शन करने वाले 7 उद्यमों को राजस्थान उद्योग रत्न, चार बुनकरों को राजस्थान बुनकर रत्न और एक हस्तशिल्पी को राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा। इसके साथ ही सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी का उद्योग रत्न पुरस्कार हनुमानगढ़ जंक्शन की शिवम एडिटिब्स को दिया जाएगा। उद्योग एवं राजकीय उपक्रम मंत्री श्री राजपाल सिंह शेखावत ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में यह दूसरा अवसर है, जब राज्य के औद्योगिक प्रतिष्ठानों को राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार इसी माह जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में वितरित किए जाएंगे। पुरस्कार स्वरुप

एक-एक लाख रुपए नकद, प्रशस्ति पत्र और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इससे राज्य में उद्योगों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा होगी, वहीं प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में नवाचारों व औद्योगिक प्रतिष्ठानों को और अधिक बेहतर कार्य करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने बताया कि महिला उद्यमियों के लिए अलग से उद्योग रत्न पुरस्कार रखने से महिला उद्यमियों को भी प्रोत्साहन मिलने लगा है। श्री शेखावत ने बताया कि पुरस्कारों का चयन शासन सचिव एमएसएमई श्री नवीन महाजन, उद्योग आयुक्त डॉ. समित शर्मा, सिडबी के महाप्रबंधक श्री बलवीर सिंह, सीआईआई के अध्यक्ष श्री अनिल साबू, एमएसएमई विकास संस्थान भारत सरकार के निदेशक श्री एमके सारस्वत, लघु उद्योग भारती के श्री महेन्द्र खुराणा और रीको के श्री राजन कपूर की कमेटी द्वारा किए गए।

भामाशाह डिजिटल परिवार योजना जयपुर जिले में पहला शिविर आज गोविन्दगढ़ में

जयपुर। जयपुर जिले में भामाशाह डिजिटल परिवार योजना के तहत पात्र लोगों को मोबाईल फोन वितरण के लिए 7 से 25 सितम्बर की अवधि में प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर शिविर लगाये जायेंगे। पहला शिविर शुक्रवार, 7 सितम्बर को गोविंदगढ़ पंचायत समिति मुख्यालय पर आयोजित कियाजायेगा। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के उप निदेशक श्री रितेश कुमार शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार की भामाशाह डिजिटल परिवार योजना के अन्तर्गत जयपुर जिले में लगभग 7 लाख 14 हजार परिवारों को मोबाईल फोन दिये जायेंगे। इसके लिए जयपुर जिले की पंचायत समिति मुख्यालयों एवं बड़े कस्बों/ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर सितम्बर माह में 35 शिविर आयोजित किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि भामाशाह डिजिटल परिवार योजना के अन्तर्गत उन पात्र परिवारों को मोबाईल फोन दिये जा रहे है, जो परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे है। सरकार की ओर से मोबाईल के लिए प्रत्येक पात्र परिवार को एक हजार रुपये दो किस्तों में उनके भामाशाह कार्ड से जुड़े बैंक अकाउंट में जमा कर दिये जायेंगे। पहली किस्त पांच सौ रुपये की फोन खरीदनें के लिए एवं दूसरी किस्त उपभोक्ता द्वारा फोन पर सरकारी सेवाओं की मोबाईल एप डाउनलोड करने पर मिलेगी।

डाटर्स आर प्रीशियस-3- ऐतिहासिक जनजागरुकता अभियान के 'डेप रक्षक' ग्राम पंचायत स्तर पर पहुंचेंगे

आज 2 हजार 366 ग्राम पंचायतों में लगेगी 'बेटी पंचायत' और विकसित होगी 'बेटियां अनमोल हैं' की भावना

जयपुर/एजेंसी। राजस्थान पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ द्वारा 'बेटी बचाओ' के प्रति जन-जागरुकता की एक और अभिनव पहल करते हुये 'डाटर्स आर प्रीशियस' अभियान के तहत् अब पंचायत स्तर पर बेटी पंचायत आयोजित की जायेंगी। 'डाटर्स आर प्रीशियस' अभियान के तीसरे चरण में प्रदेश की 2 हजार 366 ग्राम पंचायतों में 7 सितम्बर को बेटी पंचायत आयोजित होंगी और प्रशिक्षित डेप-रक्षक समुदाय में 'बेटियां अनमोल हैं' की भावना जागृत करेंगे। अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी, पीसीपीएनडीटी एवं एमडी एनएचएम श्री नवीन जैन ने बताया कि प्रदेशभर में ग्राम पंचायत स्तर पर प्रजेंटेशन, इमोशनल एनिमेशन फिल्म द्वारा रोचक ढंग से बेटी बचाओ का संदेश प्रसारित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इस डेप-3 अभियान में महिला एवं बाल विकास विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग सहित शिक्षा विभाग तथा अनेक स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग भी लिया गया है। उन्होंने बताया कि सितम्बर माह में 14, 25 एवं 28 सितम्बर को भी निर्धारित कार्ययोजना के अनुसार बेटी पंचायतें आयोजित की जायेंगी। डाटर्स आर प्रीशियस के जनजागरूकता के दो चरण प्रदेश के लगभग समस्त कॉलेजों व स्कूलों में आयोजित किये जा चुके हैं।

OM METALS INFRAPROJECTS LIMITED
Regd.Office: J-28, Subhash Marg, C-Scheme, Jaipur-302001
CIN: L27203RJ1971PLC003414 TEL: +91-141-5163323-33
E-MAIL :cs@ommetals.com Website : www.ommetals.com

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि मै. ओम मेटल्स इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा 46वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना में वर्णित कार्यों को सम्पन्न किये जाने हेतु इसकी 46वीं वार्षिक साधारण सभा **शनिवार, 29 सितम्बर, 2018 को प्रात: 11.30 बजे, ओम टावर, चर्च रोड, एम.आई. रोड, जयपुर-302001** पर आयोजित की जायेगी।

वार्षिक साधारण सभा की सूचना एवं 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों को जिनके ई-मेल आईडी कम्पनी/आरटीए/डिपाजिटरी पार्टिसिपेन्ट के पास पंजीकृत हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तथा अन्य सभी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से उनके पंजीकृत पते पर स्वीकृत विधि से भेज दी गई है। यह दस्तावेज निरीक्षण हेतु कम्पनी की वेबसाइट **www.ommetals.com** पर एवं कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में सभी कार्य दिवसों पर कार्यालय समय में तथा CDSL की वेबसाइट **http://www.evotingindia.com** पर भी उपलब्ध है। रिपोर्ट्स सहित सूचना अंशधारकों को भेजने का कार्य पूर्ण होने की तिथि बुधवार, 5 सितम्बर, 2018 है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 91 एवं अन्य सभी लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, सहित तथा सेबी (सूचीबद्धता अनिवार्यता तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) नियम, 2015 के अन्तर्गत सूचित किया जाता है कि कम्पनी की शेयर हस्तांतरण पुस्तिका व सदस्य पंजिका शनिवार 22 सितम्बर, 2018 से शनिवार, 29 सितम्बर, 2018 तक (दोनों दिन सम्मिलित) AGM हेतु बंद रहेगी।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 108 सपठित संबंधित नियम तथा सेबी (सूचीबद्धता अनिवार्यता तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) नियम, 2015 के नियम 44 के अनुसार कट ऑफ तिथि 22 सितम्बर, 2018 को अंशधारिता रखने वाले सदस्य AGM की सूचना में अंकित बिजनेस पर अपने मत सेन्ट्रल डिपाजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (CDSL) के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, द्वारा AGM स्थल से अन्य स्थान से ('रिमोट ई-वोटिंग') डाल सकते हैं जिसका विवरण निम्नानुसार दिया गया है :

(ए) रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार 25 सितम्बर, 2018 को प्रात: 10.00 बजे आरम्भ होगी तथा शुक्रवार 28 सितम्बर, 2018 को सायं 5.00 बजे समाप्त होगी। इस तिथि व समय के पश्चात ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।

(बी) वे व्यक्ति, जिसका नाम कट ऑफ तिथि अर्थात शनिवार, 22 सितम्बर, 2018 को सदस्य पंजिका/लाभार्थी स्वामियों की सूची में अंकित है, वे ही ई-वोटिंग अथवा AGM में मतपत्र द्वारा वोट देने के पात्र होंगे।

(सी) कोई व्यक्ति जिसने AGM की सूचना भेजे जाने के बाद कम्पनी की अंशधारिता प्राप्त की है एवं कम्पनी का सदस्य बना है तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् शनिवार 22 सितम्बर, 2018 को अंशधारक है, वह **helpdesk.evoting@cdslindia.com** अथवा **admin@skylinerta.com** पर अनुरोध भेजकर लॉगइन आईडी व पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

(डी) वे सदस्य जो ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट डाल चुके हैं, वे AGM में भाग ले सकते हैं किन्तु उन्हें AGM में वोट डालने की पात्रता नहीं होगी।

(ई) AGM में मतपत्र द्वारा वोट डालने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी एवं AGM में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट नहीं डाले हैं, AGM में मतपत्र द्वारा वोट डालने के पात्र होंगे।

रिमोट ई-वोटिंग दिशा-निर्देश हेतु, अंशधारक 46वीं AGM हेतु भेजी गई सूचना का अवलोकन करें तथा ई-वोटिंग के सम्बन्ध में किसी भी शिकायत हेतु श्री राकेश दलवी, उप प्रबन्धक, फिरोज जीजीभाय टावर्स, 16वां तल, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुम्बई-400001, फोन नम्बर : 18002005533, ई-मेल आईडी : **helpdesk.evoting@cdslindia.com** से सम्पर्क किया जा सकता है।

कृते : ओम मेटल्स इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड
ह./-
रीना जैन
कम्पनी सचिव

स्थान : जयपुर
दिनांक : 5 सितम्बर, 2018

राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की अहम मुलाकात

संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत शत-प्रतिशत पात्र मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने का किया आव्हान

जयपुर/एजेंसी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री आनंद कुमार ने कहा कि 7 सितंबर, शुक्रवार को मतदाता सूचियों में नाम जुड़वाने, आपत्ति और दावे प्रस्तुत करने का आखिरी दिन है। ऐसे में सभी राजनैतिक दल मतदाता सूचियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और इसमें शत-प्रतिशत पात्र व्यक्तियों का पंजीकरण करवाने में आमजन का ज्यादा से ज्यादा सहयोग करे और उन्हें नाम जुड़वाने के लिए प्रोत्साहित भी करें। श्री कुमार गुरुवार को शासन सचिवालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मतदाताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए दो बार मतदाता सूची में नाम पंजीकृत करवाने की दिनांक को बढ़ा चुके हैं। इन बढ़े हुए दिनों में आमजन ने खासी रूचि दिखाते हुए खासी संख्या में नाम जुड़वाए हैं। उन्होंने कहा कि अभी भी कोई पात्र मतदाता अपना नाम जुड़वाने से वंचित रह गए हैं तो बिना अवसर गवाए अपने क्षेत्र के बीएलओ को संपर्क कर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा लें। उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 27 सितम्बर को किया जाएगा और अंतिम सूची के अनुसार ही आगामी चुनाव भी सम्पन्न कराए जा सकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता सूचियों के द्वितीय पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत अब तक 5 लाख से ज्यादा आवेदन नए नाम जुड़वाने, 4 लाख 65 हजार आवेदन नाम हटाने, 2 लाख 13 हजार नाम, पते आदि में संशोधन के लिए जबकि 32 हजार आवेदन एक ही विधानसभा में स्थानांतरण के लिए प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियों में संभावित दोहरी प्रविष्टियों (डुप्लीकेट नाम) का भौतिक सत्यापन करवाकर उन्हें हटाने की कार्रवाई की जाएगी। चर्चा के दौरान सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने आश्वस्त किया कि वे भी इस कार्यक्रम के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करेंगे ताकि मतदाता सूची में पात्र व्यक्तियों के नाम जुड़ सकें।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक अमृत जैन के लिये, यंगलीडर प्रेस से मुद्रित 2073, चाकसू का चौक, घी वालों का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर से प्रकाशित,। फोन नं. 2570653 (RNI No. RAJHIN/2004/12833) **नई दिल्ली, संस्करण :** 2996, ग्राउण्ड फ्लोर, गली कैप्टन वाली, नजदीक गोलचा सिनेमा, **दरियागंज नई दिल्ली, मो.** 9868155089, 9312746929, **ग्वालियर संस्करण :** 10, पंत नगर के पीछे, ए.जी. ऑफिस के पास आर्टिफिशर स्कूल, महलगांव, लश्कर ग्वालियर **(मध्य प्रदेश)** फोन : 0751-4012643, मो.9301106767, 9425772667

SBI — STRESSED ASSETS MANAGEMENT BRANCH (SECUNDERABAD)

5th Floor, Rear Block, HMWSSB Compound, D.No.6-2-915
Khairatabad, Hyderabad-500 004

POSSESSION NOTICE Under Rule 8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (For immovable property)

A/c: 62186757171 / 30386569869 / 34840113357 / 34840605238

Whereas, the undersigned being the Authorised Officer of the **State Bank of India, Stressed Assets Management Branch, Secunderabad** under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice dated 10.11.2017, calling upon **M/s. Kailash Power Private Limited, A-297, Sushant Lok, Phase-I, Gurgoan, Haryana. Pin:122002** and Others to repay the amount mentioned there in being **Rs. 107,17,64,543.15 (Rupees one hundred seven crore seventeen lakh sixty four thousand five hundred forty three and paise fifteen only) as on 09.11.2017 + interest at contractual rate w.e.f from 10.11.2017 & expenses there on** within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The Borrower/Guarantors/Mortgagors having failed to repay the amounts demanded in the notice mentioned above, notice is hereby given to the Borrower/ Guarantors/Mortgagors and the public in general that the undersigned has taken possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section13 of Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this **5th day of September 2018.**

The borrower/guarantors/mortgagers in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the properties and any dealings with the properties will be subject to the charge of the **State Bank of India, Stressed Assets Management Branch, Secunderabad** for the amount **Rs. 107,17,64,543.15 (Rupees one hundred seven crore seventeen lakh sixty four thousand five hundred forty three and paise fifteen only) as on 09.11.2017 with future interest at contractual rate from 10.11.2017 on the aforesaid amount together with incidental expenses, costs, charges etc.**

The Borrower/guarantors attention is invited to provisions of Sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets, which reads as under "Wherever the amount of dues of the secured creditor together with all costs, charges and expenses incurred by him is tendered to the secured creditor at any time before the date of publication of notice for public auction or inviting quotations or tender from public or private treaty for transfer by way of lease, assignment or sale of the secured assets".

i. The secured assets shall not be transferred by way of lease assignment or sale by the secured creditor; and

ii. In case, any step has been taken by the secured creditor for transfer by way of lease or assignment or sale of the assets before tendering of such amount under this Sub-section, no further step shall be taken by such secured creditor for transfer by way of lease or assignment or sale of secured assets.

DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTIES MORTGAGED

1) All that the part and parcel of 4 Storied residential building bearing Plot No. A-297 measuring 800 Sq Mtrs in Sushant Lok, Phase-I, Gurgoan situated at Sarhaul Sukharali, Charkarpur, Salokhra Kanhal, Wazirabad, Gurgoan District, Haryana in the name of Kailash Power Private Ltd. Bounded as : North : 12 mtr wide Road, South : Property No:A-267, East : 12 mtr wide Road, West : Property No: A-266

Date : 05-09-2018, Place : Hyderabad — **Authorized Officer, State Bank of India**

OM METALS INFRAPROJECTS LIMITED

Regd.Office: J-28, Subhash Marg, C-Scheme, Jaipur-302001
CIN: L27203RJ1971PLC003414 TEL: +91-141-5163323-33
E-MAIL :cs@ommetals.com Website : www.ommetals.com

NOTICE

Notice is hereby given that the 46th Annual General Meeting of the members of Om Metals Infraprojects Limited will be held on **Saturday, 29thSeptember, 2018, at 11.30 A.M. at Om Tower, Church Road, M.I. Road, Jaipur 302001** to transact the businesses set out in the Notice of the 46th AGM.

The Notice of Annual General Meeting and Annual Report for the Financial Year ended 31st March, 2018 has been sent in electronic mode to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company/RTA/Depository Participant and the physical copies of the same has been sent to all other members individually at their registered address in the permitted mode. These documents are also available on Company's Website **www.ommetals.com** and are also available at the registered office of the Company for inspection during office hours on all working days and also on the CDSL's website **http://www.evotingindia.com**. The date of completion of dispatch of the Notice along with the Reports to shareholders is Wednesday, 5th September, 2018.

Notice is also hereby given pursuant to Section 91 and all other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Share Transfer Books and Register of Members of the Company shall remain closed form Saturday, 22ndSeptember, 2018 to Saturday, 29th September, 2018 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

As per Section 108 of the Companies Act, 2013 read with rules there under and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, members holding shares as on cut off date September 22, 2018 , may cast their vote electronically on the business as set forth in the notice of AGM through electronic voting system of Central Depository Services Limited (CDSL) from a place other than venue of the AGM ('remote e-voting'), the details of which are given as hereunder:

a) The remote e-voting commences on Tuesday, 25th September, 2018 at 10.00 A.M and ends on Friday, 28th September, 2018 at 5.00 P.M. No e-voting shall be allowed beyond the said date and time.

b) A person, whose name appear in the Register of members/ beneficial Owners as on the cut-off date i.e. Saturday 22nd September, 2018 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or Voting through Ballot Papers at the AGM.

c) Any person, who acquires the shares and becomes a member of the Company after dispatch of Notice of the AGM and holds shares as on the cut-off date i.e. Saturday, 22nd September, 2018 may obtain the login ID and password by sending a request to **helpdesk. evoting@cdslindia.com** or **admin@skylinerta.com**.

d) The members who have casted their vote by remote e-voting may attend the AGM, but shall not be entitled to cast their vote at the AGM.

e) The facility of voting through Ballot Paper shall also be made available at the AGM and the Member attending the AGM who have not casted their vote by remote e- voting, shall be eligible to vote at the AGM through Ballot Paper.

For remote e-voting instructions, shareholders may go through the instructions as mentioned in the Notice calling 46th AGM and any grievances connected with remote e-voting may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager, Phiroze Jeejeebhoy Towers, 16th Floor, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400001, Phone number: 18002005533, Email i.d.: **helpdesk.evoting@cdslindia.com.**

For **Om Metals Infraprojects Limited**
Sd/-
Reena Jain
Company Secretary

Place : Jaipur
Date : 5th September, 2018

UNITED BANK OF INDIA

Recovery Department
New Delhi Regional Office, Delhi

NOTICE UNDER SECTION 13(2) & 13(13) OF THE SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 (SARFAESI ACT)

In respect of loans availed by below mentioned borrowers / guarantors through United Bank of India, which have become NPA with below mentioned balance outstanding on dates mentioned below. We have already issued detailed Demand Notice dated as mentioned below Under Sec. 13(2) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 by Speed Post due to you which has been returned undelivered / acknowledgment not received. We have indicated our intention of taking possession of securities owned on one of you as per Sec. 13(4) of the Act in case of your failures to pay the amount mentioned below within 60 days. In the event of your not discharging liability as set out herein above the Bank / Secured Creditor may exercise any of the right conferred vide section 13(4) of SARFAESI Act by publishing the possession notice / auction notice, electronically or otherwise, as required under the SARFAESI Act. Details are hereunder:-

Name of Borrowers/Guarantors Date of NPA	Demand Notice Date Amount Outstanding	Details of Secured Assets:
1.Smt. Ranu Soni W/o Sri Laxmi Kant, Flat No II-E/159 B, Kamna, Vaishali, Sector – 2, Ghaziabad 201010 **2. Sri Laxmi Kant S/o Sri Ramdev**, Flat No. II-E/159 B, Kamna, Vaishali, Sector – 2, Ghaziabad-201010 **Guarantor : Sri Dinesh Kumar S/o Sri Tilak Raj**, Flat No. II-E/79, Kamna, Sector – 2, Vaishali, Ghaziabad - 201010 A/c No. 1463300003629 **Loan Accounts have been classified as a NPA on 31-03-2018**	Demand Notice Dated 17-04-2018 **Amount Outstanding** **₹ 9,56,948.50** **as on 31-03-2018** **+ interest** **+ Legal Charges.**	**Equitable Mortgage of residential Flat No. II – E/159 B, Kamna, Sector 2, Vaishali, Ghaziabad U.P. 201010 and** bounded by: East - Flat No. 154-B, West - Open on G.F., North - Flat No. 158-B, South - Flat No. 160-B

The above mentioned Borrowers / Guarantors are advised (1) To collect the original notice from the undersigned for more and complete details and (2) To pay the balance outstanding amount interest and costs etc. within 60 days from the date of notice referred to above to avoid further action under the SARFAESI Act.

Dated : 05-09-2018, Place : New Delhi — **Authorised Officer, United Bank of India**

RAMA STEEL TUBES LIMITED

CIN: L27201DL1974PLC007114
Regd. Off.: A-15, 3rd Floor, Swasthya Vihar, New Delhi - 110092
Ph: 011-43656667; Fax: 011-43656699,
Email: investors@ramasteel.com; Website: www.ramasteel.com

NOTICE OF 44TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE INTIMATION AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 44th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Saturday, 29th September, 2018 at 11.30 A.M. at Aura Grand Residency, 439, Jagriti Enclave, Near Karkardooma Metro Station, Delhi-110092, to transact the business as stated in the Notice thereof.

The Company has on September 04, 2018 completed the dispatch of the physical copies of the Notice of 44th AGM, Annual Report containing Financial Statements for the year ended 31st March, 2018 and the Reports of the Auditors and Directors along with Report on Corporate Governance to the members who have not registered their e-mail address and also sent the same on September 06, 2018, through electronic means to the Members whose e-mail ID's are registered with the Company / Depository Participants for communication purposes.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from Thursday, September 27, 2018 to Saturday, September 29, 2018 (both days inclusive) for the 44th AGM.

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide Remote e-voting facility to the Members enabling them to cast their vote electronically for all the resolutions as set out in the AGM Notice dated 14th August, 2018, through the e-voting services provided by National Securities Depository Limited (NSDL).

All the Members are hereby informed that:-

(i) The remote e-voting period commences on Wednesday, 26th September, 2018, 9:00 a.m. and ends on Friday, 28th September, 2018, 5:00 p.m. Remote e-voting shall not be allowed beyond 5:00 p.m. on 28th September, 2018. The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on the resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

(ii) In case of any person becoming the member of the Company after the dispatch of AGM Notice but on or before the cut-off date i.e. 22nd September, 2018, may write an email to evoting@nsdl.co.in for obtaining login ID and password. Further, if the Member is already registered with NSDL remote e-voting platform, then he can use existing User ID and Password for casting the vote through remote e-voting.

(iii) Members may note that : -

(a) The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM.

(b) A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. 22nd September, 2018, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot paper; and

(c) The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM, but shall not be entitled to cast their vote again.

(iv) The Notice of AGM is available on the Company's website i.e. www.ramasteel.com and NSDL's website www.evoting.nsdl.com.

The Board of Directors have appointed Mr. Vipin Aggarwal, a Practicing Chartered Accountant Partner, VAPS & Company, New Delhi, as Scrutinizer for conducting the voting / poll and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

Members are requested to read the instructions pertaining to e-voting as printed in the AGM Notice carefully. In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questing (FAQs) for Shareholders and remote e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads sections of www.evoting.nsdl.com or e-mail at evoting@nsdl.co.in or contact on Toll Free No.: 1800-222-990.

All the relevant documents pertaining to the items of business to be transacted in the AGM are open for inspection at the Registered Office of the Company on all working days (barring Saturdays and Sundays) between 11:00 a.m. to 1:00 p.m. prior to AGM.

To support green initiative, Members who have not registered their email addresses so far or who want to update their email address, are requested to approach their respective DP (for electronic holding) or Bigshare Services Pvt Ltd/ Company (for physical holding) for receiving all communications electronically.

For RAMA STEEL TUBES LIMITED
Sd/-
(NARESH KUMAR BANSAL)
MANAGING DIRECTOR

Place: New Delhi
Date: 06.09.2018

OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER-I
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-III, DELHI

4th Floor, Jeevan Tara Building, Parliament Street, Patel Chowk, New Delhi-110001

R.C. No. 224/2016 — **Sale Proclamation** — **Dated : 20-08-2018**

PROCLAMATION OF SALE UNDER RULE 38, 52(2) OF SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961 READ WITH THE RECOVERY OF DEBTS DUE TO BANK AND FINANCIAL INSTITUTIONS ACT, 1993

CANARA BANK VS SHRI RAJINDER SINGH & OTHERS

CD No.1. Shri Rajinder Singh S/o Shri Bishamber Singh, Proprietor of M/s Laxmi Electronics, having its Office at 206-207, Second Floor, Vardhman Plaza Tower, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi-110034, **Also at :** 10656/8, Pratap Nagar, Andha Mughal Delhi-110007, [illegible]

Scanned by CamScanner